मध्यप्रदेशशासन

वित्तविभाग

वल्लभभवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ /2026/नियम / चार भोपाल, दिनांक मार्च, 2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग से सेवाएं प्राप्त किये जाने के लिए विभिन्न निजी/शासकीय एजेंसीज के नियोजन, अनुबंध प्रबंधन एवं समग्र प्रशासनिक नियंत्रण हेतु ROAMS (Resource Outsourcing Agency Management System) पोर्टल के अनिवार्य उपयोग के संबंध में।

सन्दर्भ:- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 2232/R 512/2024/नियम/चार, भोपाल दिनांक 22.12.2025 |

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर निजी/शासकीय एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर सेवाएँ प्राप्त की जाती रही हैं। निजी/शासकीय एजेंसी के माध्यम से विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु ली जाने वाली सेवाओं की कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत सक्षम स्तर (वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग) से स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

2/ कंडिका 1 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन, एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के प्रबंधन में एकरूपता स्थापित करने, अनुबंधों के व्यवस्थित प्रबंधन तथा संसाधनों की वास्तविक स्थिति की निरंतर निगरानी को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के दृष्टिगत Resource Outsourcing Agency Management System (ROAMS) ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल आउटसोर्सिंग से सेवा प्राप्त करने वाले विभागों तथा सेवा प्रदाता एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटसोर्सिंग स्वीकृतियों, अनुबंध प्रबंधन, उपस्थिति, भुगतान एवं निगरानी से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने की सुविधा प्रदान करता है। आउटसोर्सिंग से सेवा प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अग्रांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

(i) दिनांक 01 अप्रैल 2026 के पश्चात् विभागों द्वारा किये जाने वाले समस्त नवीन आउटसोर्सिंग अनुबंधों/कार्य आदेशों की प्रविष्टि ROAMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जानी होगी। वर्तमान में प्रचलित समस्त अनुबंधों की प्रविष्टि भी ROAMS पोर्टल पर अनिवार्यत: होगी तथा सभी पूर्व प्रचलित अनुबंधों को दिनांक 30 जून 2026 तक पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। विभागीय स्तर पर अनुबंधित एजेंसियों का पंजीकरण, संसाधनों की ऑनबोर्डिंग, सेवा अनुबंधों की प्रविष्टि, संसाधनों की मासिक उपस्थिति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएँ 01 अप्रैल 2026 से केवल ROAMS पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जा सकेंगी।

(ii) ROAMS पोर्टल में विभागीय कार्यवाहियों, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए विभाग एवं निजी/ शासकीय एजेंसी स्तर की प्रमुख प्रक्रियाओं को समाहित किया गया है। विभाग स्तर पर विभाग पंजीकरण, DDO कोड मैपिंग, User Role Mapping, Budget Line Mapping, अनुबंध/कार्य आदेश का पंजीकरण, निजी/शासकीय एजेंसी पंजीकरण एवं सत्यापन, संसाधनों की जॉइनिंग/प्रतिस्थापन/रिलीविंग, मासिक उपस्थिति अंकन तथा डैशबोर्ड एवं MIS रिपोर्ट्स की सुविधा उपलब्ध है।

(iii) आउटसोर्स सेवा प्रदाता निजी/ शासकीय एजेंसी के स्तर पर अनुबंध का अवलोकन, संसाधनों को जोड़ना, उनका सत्यापन, पंजीकरण एवं प्रोफाइल अद्यतन तथा विभागीय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल में इनवॉइस जनरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

(iv) वर्तमान में ROAMS में उत्पन्न इनवॉइस को IFMIS में संलग्न कर भुगतान किया जायेगा, आगामी चरण में End-to-End Integration के माध्यम से यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित, पारदर्शी एवं समयबद्ध की जा सकेगी। ROAMS का यूजर मैनुअल इस पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही यूजर मैनुअल वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।

3/ यह स्पष्ट किया जाता है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों का संपूर्ण नियोजन, डेटा प्रविष्टि, जानकारी की सत्यता, भुगतान तथा अनिवार्य कटौतियों (जैसे PF, ESI आदि) का अनुपालन संबंधित सेवा प्रदाता निजी/शासकीय एजेंसी की ही जिम्मेदारी है।

4/ ROAMS पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन से निजी/शासकीय एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के प्रबंधन में सुगमता आने के साथ-साथ विभागीय कार्यवाहियों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को इस पोर्टल के उपयोग हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5/ पोर्टल के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा किसी भी प्रकार की शंका के समाधान हेतु कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा में पदस्थ श्री आसिफ खान सिस्टम मैनेजर (मोबाईल नम्बर 9039234090) से संपर्क किया जा सकता है इसके अतिरिक्त dtamp.bpl@mp.gov.in पर भी लेख किया जा सकता है।

संलग्न:-

1. ROAMS पोर्टल यूजर मैनुअल (1 से 4)
2. आधार E-KYC यूजर मैनुअल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Vivek Kumar Gharu
Date: 28-03-2026
16:43:13

(विवेक कुमार घारू)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन एफ /2026/नियम/चार भोपाल, दिनांक मार्च, 2026

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव / निज सहायक मान. मंत्री / राज्यमंत्री , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
6. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
8. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. सचिव, राज्य निर्वाचनआयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता , मध्यप्रदेश, जबलपुर / इन्दौर /ग्वालियर।
14. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार / आडिट)1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर / भोपाल।
15. सचिव / संचालक बजट / अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी, बजट शाखा (समस्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।

17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
19. समस्त प्रार्चाय, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
20. समस्त कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी।
21. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in.पर अपलोड करने हेतु।
22. गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Digitally signed by
Abhishek Chohan
Date: 28-03-2026
16:55:00

(अभिषेक चौहान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग